(२४२)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, सर्किल कोर्ट रीवा मण्डल ग्वालियर

Rs. 20/-

433
4.8.14

R. 2686-III/14

रामजियावन पटेल तनय श्री रामसखा पटेल उम्र–60 वर्ष निवासी ग्राम खजुहा तह0 गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

बनाम

मदीना शाह तनय श्री बाउर शाह निवासी ग्राम खजुहा तह0 गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) .... गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक:28/7/14 न्याया0श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तह0 गुढ जिला रीवा म0प्र0 जरिये अपील प्र0क055/अ6/12–13,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959ई0,

एस.पी. यादव द्वारा आज दिनांक 04-8-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

23/8/14

मान्यवर,

निगरीन के आधार निम्न है:–

1– यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने अपने स्वत्व अधिपत्य कि आराजी नं0–986 रकवा 0.150 हे0 का अंश रकवा 0.075 हे0 स्थिति मौजा खजुहा तह0गुढ दिनांक: 23/01/2001 को 3.1/2 डि0 मुबलिक 3500 रू0 (तीन हजार पांच सौ रू0) में तथा दिनांक: 15/12/2004 को 0.015 डि0 मुबलिक 22.500 रू0(बाईस हजार पांच सौ रू0) में बतौर टीप निगरानी कर्ता को बिकी कर तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर मौक पर कब्जा –दखल सौप दिया था।

रामजियावन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0**R.2686–III**/14 जिला–रीवा

रामजीवन पटेल/ मदीना शाह

(1)	(2)	(3)
23.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	